DW-2

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 169/2022

द्वारका प्रसाद पुत्र स्व. बालूराम जाति ब्राहमण उम्र 75 वर्ष निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादी

ब–ना–म

1. विश्वेश्वर दयाल पुत्र स्व. बालूराम जाति ब्राहमण उम्र 78 वर्ष निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रतिवादीगण

दावा– रिकार्ड दुरूस्ती, घोषणात्मक

:: निर्णय :: **दिनांक :–20–09–2022**

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी दोनों सगे भाई है उनकी पैतृक कृषि भूमि ग्राम रसूलपुर ताल में स्थित है। ग्राम बड़ाऊ तहसील खेतड़ी स्थित आराजी खाता नया 181 व पुराना खाता सं. 161 के जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के खसरा नंबर 699 रकबा 7.21 है. व ख.नं. 701 रकबा 0.70 है. कुल किता 2 कुल रकबा 7.91 है. भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 खातेदार काश्तकार रिकार्ड दर्ज है। इस जमाबन्दी में बसेसर पुत्र डुंगा का 1/2 हिस्सा गलत रूप से दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी के पिता स्व. बालुराम एवं डूंगाराम दोनों सगे भाई थे जिसमें डूंगा पुत्र जीवाराम अविवाहित था तथा उनका देहान्त नाऔलाद हो गया और न ही उन्होंने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत छोड़ी। इस प्रकार डूंगा पुत्र जीवा का देहान्त 1964 में हो गया था उसके पश्चात् उनकी जगह राजस्व रिकार्ड में उनका हिस्सा नाऔलाद फौत होने की वजह से उनके भाई बालु पत्र जीवा में मर्ज होना चाहिए था जो राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों के द्वारा सहवन से नहीं हो पाया तथा सहवन से उनका हिस्सा गलत रूप से प्रतिवादी सं. 1 के गलत नाम से डूंगा का पुत्र दिखाकर दर्ज कर दिया गया। जबकि बसेसर उनका न तो जाईन्दा पुत्र था और न ही उनके द्वारा गोद लिया गया था। इसलिये राजस्व रिकार्ड में बसेसर पुत्र डूंगा गलत रूप से सहन से लगातार चला आ रहा है। डूंगा के भाई बालू के विश्वेश्वर दयाल बड़ा पुत्र था जिसको गलत रूप से बसेसर के रूप में मानकर डूंगा के पुत्र के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया है जिसका कोई भी साक्ष्य एवं सबूत नहीं था। बसेसर विश्वेश्वर दयाल एक ही व्यक्ति के नाम है लेकिन बसेसर उर्फ विश्वेश्वर दयाल को ही बसेसर पुत्र डूंगा के नाम से रिकार्ड में दर्ज होने से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को काफी समस्याऐं खड़ी हो गई है। इसलिये बसेसर पुत्र डूंगा हजफ किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी को उक्त खाते की जमाबन्दी के खसरा [illegible] रकबा 7.21 है. व ख.नं. 700 रकबा 0.70 है. भूमि का खातेदार घोषित किया जाना [illegible]श्यक [illegible]। तदनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा वादी एवं [illegible] हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का घोषित किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम ता[illegible] तहसील खेतड़ी स्थित भू[illegible] खसरा नंबर 699 रकबा 7.21 है. व ख.नं. 700 रकबा 0.70 है. भूमि में से बसेसर पुत्र डूंगा का नाम राजस्व रिकार्ड में से हजफ कर उक्त विवादित भूमि वादी को एवं प्रतिवादी को 1/2, 1/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:35:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर अमल दरामद कराया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि विश्वेश्वर दयाल व बसेसर मेरे ही नाम है जो राजस्व कर्मचारी व अधिकारियों से सहवन से बसेसर पुत्र डूंगा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया था। डूंगा पुत्र जीवा मेरे ताऊजी थे जो नाऔलाद ही फौत हो गये थे जिनके वारिश के रूप में राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से निक नेम बसेसर के रूप में उनके पुत्र के तौर पर दर्ज कर दिया जो गलत जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। मेरा सभी सरकारी दस्तावेज में विश्वेश्वर दयाल पुत्र बालू ही दर्ज है। बसेसर नहीं है। इसलिए बसेसर पुत्र डूंगा का नाम राजस्व रिकार्ड में हजफ कर द्वारका प्रसाद पुत्र बालू व विश्वेश्वर दयाल पुत्र बालू के नाम से उक्त राजस्व रिकार्ड में 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे।

प्रतिवादी सं. 2 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में आवेदन पत्र खाता दुरूस्ती मय पटवारी हल्का रसूलपुर की रिपोर्ट, शपथ पत्र, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत बड़ाऊ, फोटो प्रति आधार कार्ड विश्वेश्वर दयाल, नकल जमाबन्दी संवत् 2075–2075 खाता सं. 181 ग्राम ताल, फोटो प्रति जमाबन्दी संवत् 2071–74 खाता सं. 161 ग्राम ताल, जमाबन्दी खाता सं. 228 ग्राम रसूलपुर पेश की तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र द्वारका प्रसाद (पी.डब्ल्यू.–1) भी पेश किया।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब दावे का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2075–2078 खाता सं. 181 में दर्ज खसरा नंबर 699, 701 कुल किता 2 कुल रकबा 7.91 है. में द्वारका पुत्र बालू हिस्सा 1/4, बसेसर पुत्र डूंगा हिस्सा 1/2, विश्वेसर पुत्र बालू हिस्सा 1/4 जाति ब्राहमण सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि बसेसर पुत्र डूंगा व विश्वेसर पुत्र बालू एक ही व्यक्ति के नाम है। बसेसर पुत्र डूंगा का नाम कोई व्यक्ति नहीं है। डूंगा, बालू दोनों सगे भाई थे जिसमें डूंगा का नाऔलाद देहान्त हो गया। डूंगा का हिस्सा नाऔलाद फौत होने पर बालू में मर्ज होना चाहिए था लेकिन सहवन बसेसर को डूंगा का वारिश मानकर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में बसेसर पुत्र डूंगा दर्ज कर दिया जबकि बसेसर का सही नाम विश्वेसर है जो बालू का पुत्र है। अर्थात् वादी व प्रतिवादी सं. 1 स्व. बालू के पुत्र हैं। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा के बाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम ताल तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता सं. 181 में दर्ज खसरा नंबर 699, 701 कुल किता 2 कुल रकबा 7.91 है. में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि बसेसर पुत्र डुंगा हिस्सा 1/2 का नाम हजफ किया जाता है। उक्त बसेसर पुत्र डुंगा का हिस्सा 1/2 वादी व प्रतिवादी सं. 1 में मर्ज किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से का व प्रतिवादी सं. 1 को 1/2 हिस्से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 20–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:35:16 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी